शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-37 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 11-18 सितम्बर 2023 मूल्य पांच रूपए

सुखविंदर सिंह बनाम निशु ठाकुर मानहानि मामले पर लगी पूरे प्रदेश की निगाहें

- अक्तूबर 2017 में दायर हुआ था यह मामला
- छः वर्षों में न सबको सर्विस हो पायी है और न ही कथित अभियुक्तों को दस्तावेज मिल पाये हैं।
- अवैध खनन और 800 कनाल जमीन खरीद के आरोपों पर दायर हुआ है यह मानहानि मामला
- संद्धर्भित स्टोन क्रशर एन.जी.टी. के आदेशों से हटा दिया गया है।

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने वर्ष 2017 में नादौन विधानसभा क्षेत्र के गांव जड़ौत के एक भाई बहन निशु ठाकुर और ईशा ठाकुर एवं धर्मशाला खनियारा के प्रवीण शर्मा तथा नादौन के कपिल बस्सी के खिलाफ शिमला के चक्कर स्थित ए सी जे एम की अदालत में एक मानहानि का मामला दायर किया था। इस मामले की पेशी अभी 16-9-2023 को लगी थी। इस पेशी पर अदालत में प्रवीण शर्मा को समन्न तालीम करवाने और अन्य को मामले के वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाने के सख्त निर्देश दिये हैं। यह मामला छः वर्ष पहले दायर हुआ था और इन छः वर्षो में सभी कथित अभियुक्तों को सर्विस न हो पाना तथा उन्हें मामले से जुड़े दस्तावेज ही उपलब्ध न हो पाना न्यायिक व्यवस्था को लेकर बहुत कुछ कह जाता है।

इस मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खु द्वारा दायर शिकायत के मुताबिक निशु और ईशा भाई बहन ने 20-9-2016 और 23-9-2016 को हमीरपुर के होटल हमीर में एक पत्रकार वार्ता करके सुखविंदर सिंह सुक्खु के खिलाफ अवैध खनन और अपने भाई के नाम 800 कनाल जमीन खरीदने तथा बाद में उसे अपने नाम ट्रांसफर करवाने का आरोप लगाया था। पत्रकार वार्ता खूब छपी थी जिस पर कई लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिये थे। इससे आहत होकर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने अदालत जाने का फैसला लिया। अदालत जाने से पहले इन्हें बाकायदा एडवोकेट अनूप रत्न के माध्यम से नोटिस सर्व किया गया। परन्तु नोटिस पर क्षमा याचना न करने पर वकील राजन काहोल के माध्यम से शिमला की अदालत में मानहानि का मामला दायर करने की स्थिति पहुंची और पिछले छः वर्ष से यह मामला इस चाल से चल रहा है।

दायर शिकायत के अनुसार भाई के नाम 800 कनाल जमीन खरीदने का आरोप बहुत गंभीर और संवेदनशील हौ क्योंकि हिमाचल में 1973 से लैण्ड सीलिंग एक्ट लागू है। इस एक्ट के अनुसार प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 315 कनाल से ज्यादा जमीन अपने पास रख ही नहीं सकता है और जब रख ही नहीं सकता है तो बेचेगा कैसे। फिर राजस्व अधिकारी 800 कनाल की रजिस्ट्री कैसे कर लेगा? इस परिप्रेक्ष में पहली ही नजर में यह आरोप सही नहीं लगता क्योंकि इतनी जमीन की रजिस्ट्री होना ही अपने में कई फ्रंट खोल देता है।

जहां तक अवैध खनन का प्रश्न है तो क्षेत्र के रहने वाले लोग जानते हैं कि गांव जड़ौत में मान खड्ड पर स्टोन क्रशर और मिक्सर का एक प्लांट काफी वर्षो तक वहां ऑपरेट करता रहा है और उस प्लांट से पर्यावरण के नुकसान के साथ ही स्थानीय लोगों के हक प्रभावित हो रहे थे। क्योंकि इसी स्थान पर कई गांवों का शमशान भी था। लोगों की जमीने भी खराब हो रही थी। संयोगवश यह प्लांट सुखविंदर सिंह के गांव के पास ही था। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते लोग इसकी शिकायत सुक्खु से भी करते रहे है। लेकिन जब प्लांट मलिकों पर सुखविंदर सिंह के कहने समझाने का कोई असर नहीं हुआ तब इन लोगों को एन.जी.टी. में जाना पड़ा। एन.जी.टी. ने शिकायत पर एस.डी.एम. नादौन से रिपोर्ट तलब की। एस.डी.एम. ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि कुछ भी अवैध नहीं हो रहा है। एस.डी.एम. की रिपोर्ट पर एतराज उठने पर एन.जी.टी. ने एक कमिश्नर नियुक्त करके उससे रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर की रिपोर्ट में अवैधता प्रमाणित हो गयी। इस रिपोर्ट पर एन.जी.टी. ने इस प्लांट को तुरन्त प्रभाव से हटाने के निर्देश दिये और इन निर्देशों के बाद यह प्लांट वहां से उठा दिया गया।

ऐसे में अब यह मानहानि का मामला एक रोचक मोड़ पर आ पहुंचा है। यदि 800 कनाल की खरीद के दस्तावेज अदालत में आ जाते हैं तो पूरा मामला ही बदल जायेगा। क्योंकि लैण्ड सीलिंग की सीमा में इतनी जमीन खरीदने का प्रावधान ही नहीं है। फिर यदि राजस्व रिकॉर्ड पर यह जमीन ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान पायी जाती है तो स्थिति और भी बदल जायेगी क्योंकि इस इन्दराज की जमीन विलेज कॉमललैण्ड मानी जाती है जिसे न बेचा जा सकता है और न ही उसे तक्सीम किया जा सकता है। ऐसी जमीन का प्राइवेट मालिक नहीं हो सकता है। ऐसे में इस मानहानि मामले पर पूरे प्रदेश की निगाहें लग गयी हैं।

यह है एन.जी.टी. का आदेश

BEFORE THE PRINCIPAL BENCH
NATIONAL GREEN TRIBUNAL
NEW DELHI
CIRCUIT BENCH AT SHIMLA

Original Application No. 305/2015
(M.A. No. 788/2015, M.A. No. 1226/2015 & M.A. No. 394/2016)

IN THE MATTERS OF : -

Basant Singh Thakur Vs. State of H.P. & Ors.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMI
HON'BLE MR. RANJAN CHATTERJEE, EXPERT MEMBER

Present: Applicants: Mr. Ramakant Sharma, Adv.
State of HP: Mr. Vivek Singh Attri Deputy AG and Chandal, AAG
Respondent No. 12 Mr. T.S. Chauhan, Adv
Court Commissioner Mr. Rajesh kumar, Adv

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item No. 24 January 06, 2017 AM RB	Heard the learned counsel for the parties. In this case the bone contention between the parties whether the stone crusher has been established beyon distance of 100 m from of the flow of water of the stre or not. Looking to the dispute and after hearing arguments of both sides, it was deemed proper to see report by appointing a local commissioner. The said rep has been submitted before us. Earlier the Respondent 19 had sought time to file response to the report of learned local commissioner. The said response had b filed by the Respondent No. 19 on 4th January, 2017 has been averred in the response that after perusal of said report and considering the factual aspect it submitted that Respondent No. 19 does not differ principle from the contents of the report filed by Learned Local Commissioner. In view of the above and considering the facts that controversy in this case whether the plant of Respond

No. 19 is situated within a distance less than 100m from the water body has been set at rest by the report filed by the Commissioner. It has been specifically stated in the Report filed by the Local Commissioner that the plant of the Respondent No. 19 is within a distance of 100m from the water bodies.

Therefore, we direct that Respondent No. 19 should close down his plant which falls within the distance of 100m of the water body with immediate effect.

We direct Respondent No. 7- Sub-Divisional Officer, Nadaun, District Hamirpur to ensure that Stone crusher running in the nature and style of M/s Amabay Stone Crusher-Cum-Mixer Plant, Mauja Kohla, Mohal Jaraut, Tehsil Nadaun, District Hamirpur be stopped immediately. Accordingly this Application is Allowed with no order as to cost.

Learned AAG is directed to issue appropriate instruction to the concerned officers for compliance of this order, including Collector Hamirpur.

.....,JM
(Raghuvendra S. Rathore)

.....,EM
(Ranjan Chatterjee)

राज्यपाल ने की आयुष्मान भव राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता

शिमला/शैल। भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने आयुष्मान भव पोर्टल भी लॉच किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली से कार्यक्रम में भाग लिया। इस समारोह में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, उप-राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और स्वास्थ्य मंत्री भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय से आयुष्मान भव अभियान के शुभारम्भ समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल भी उपस्थित थे।

इसके उपरान्त, राज्य स्तर पर आयोजित आयुष्मान भव कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सबके सहयोग से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से देश ने बहुत ही कम समय में कोरोना वैक्सीन तैयार की और दूरदराज के क्षेत्रों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित की। इसी भावना के साथ देश ने सबसे प्रभावी कोविड टीकाकरण अभियान को सफल बनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी अभियान सामूहिक प्रयासों और विश्वास से सफल होता है और इसी भावना के साथ हमें आयुष्मान भव अभियान को आगे बढ़ाना है।

राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों पर हिमाचल प्रदेश के सूचकांक अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है और आशा है कि इस अभियान से स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य के सूचकांकों में और सुधार होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान को देश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है और वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस अभियान में आशातीत प्रगति हुई है और राज्य इस लक्ष्य को वर्ष 2023 में ही प्राप्त कर लेगा।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में आयोजित किया जाएगा तथा दिसम्बर माह तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता लाई जाएगी। इस योजना के तीन प्रमुख घटकों में आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा शामिल हैं, इससे लोगों को व्यापक स्तर पर लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव अभियान स्वास्थ्य विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज एव ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास और चिकित्सा शिक्षा के सहयोग से चलाया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस अभियान को सभी का सहयोग मिलेगा और लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा।

इस अवसर पर राज्यपाल ने आयुष्मान भव दिशा-निर्देश भी जारी किये। उन्होंने लोगों को अंगदान करने की शपथ भी दिलवाई।

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना से छोटे उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन

शिमला/शैल। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने और कौशल-आधारित श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपये तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज़ उपदान प्रदान किया जाएगा।

प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के छोटे, मध्यम उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगी। छोटे और मध्यम उद्यमी धन के अभाव के कारण अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाते और व्यावसायिक रूप से उनके लिए तरक्की की राहें बंद हो जाती हैं। प्रदेश सरकार ने उनकी इस समस्या का समाधान करने और समाज के इस वर्ग को आर्थिक रूप से मज़बूत करने के उद्देश्य से बिना सुरक्षा ज़मानत के (संपार्श्विक मुक्त) ऋण की एक महत्त्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

उन्होंने कहा कि एम.एम.एल. डी.के. योजना छोटे उद्यमों और कौशल-आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी व फल विक्रेता और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना व्यवसाय संचालित करने वाले छोटे उद्यमियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना के प्रारम्भिक चरण में 18-55 वर्ष के आयु वर्ग के 75,000 व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपये के पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। डिजिटल टेक्नॉलजी एंड गवर्नेंस विभाग द्वारा इसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से संपूर्ण ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि एम.एम.एल.डी.के. योजना छोटे उद्यमियों को वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण आर्थिक उन्नति में आ रही बाधाओं का समाधान करेगी। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सेवा के लिए समर्पित है और वंचितों के जीवन में सुधार लाने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

राज्यपाल ने बसंतपुर स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला ग्रामीण के बसंतपुर स्थित वृद्धाश्रम का दौरा कर,

यहां रह रहे आवासियों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने फल, मिठाईयां और स्वच्छता किट भी वितरित किये। इस अवसर पर लेडी गवर्नर एवं राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा का शुभारम्भ किया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस सेवा पखवाड़ा के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और राज्य रेडक्रॉस स्वयंसेवकों द्वारा घर-द्वार पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी।

राज्यपाल ने परिसर का दौरा कर, उन्हें प्रदान की जा रही सुविधाओं और भोजन व्यवस्था इत्यादि का निरीक्षण किया। वर्तमान में आश्रम में 50 वृद्धजन रह रहे हैं, जिनमें 32 पुरुष और 18 महिलाएं हैं। उन्होंने प्रबंधन को बेहतर सफाई व्यवस्था और आवासीयों को गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि वृद्धजनों को सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि उन्हें ऐसे संस्थानों में परिवार की अनुभूति प्राप्त हो। उन्होंने प्रबन्धन को सभी वृद्धजनों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

खंड चिकित्सा अधिकारी अर्जित शर्मा ने आवासियों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेखा चोपड़ा, राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की उपाध्यक्ष डॉ. किमी सूद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचेंगे प्राकृतिक खेती उत्पाद

शिमला/शैल। शिमला शहर के लोगों को प्राकृतिक खेती उत्पाद मिलना शुरू हो जाएंगे। 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना' के तहत उपभोक्ताओं को उनके घर के आसपास ही रसायन रहित फल-सब्जी एवं अन्य उत्पाद मिल सकें इसके लिए पायलट आधार पर मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है। इस वैन के माध्यम से प्रत्येक शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर और कृषि भवन में प्राकृतिक खेती उत्पाद उपलब्ध करवाये जाएंगे।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी ने बताया कि इस पहल से शहर के लोगों को रसायन रहित उत्पाद उनके आसपास ही मिल सकेंगे। शुरूआत में चुनिंदा स्थानों पर ही प्राकृतिक खेती के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने पर अन्य स्थानों पर भी इस वैन के जरिए उत्पाद बेचे जाएंगे। पायलट आधार पर शहर से सटे तीन विकास खंड बसंतपुर, टुटू और मशोबरा के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती विधि से तैयार फल-सब्जी व अन्य उत्पाद इस वैन के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। उपभोक्ता हर शुक्रवार मोबाइल वैन के जरिए सचिवालय में एक से 2.30 बजे तक, प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल में 3 से 4 बजे तक एवं कृषि भवन में शाम 4.15 से 5.30 प्राकृतिक खेती विधि से उत्पादित रसायन रहित उत्पाद खरीद सकेंगे।

कृषि विभाग की इस पहल के जरिए प्राकृतिक खेती में प्रमाणित किसानों के उत्पाद बेचे जाएंगे। इस पहल से शिमला जिला के 3 विकास खंडों के 200 से अधिक किसान सीधे तौर पर जुड़े हैं। आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) से जुड़े इन किसानों के उत्पाद बिना किसी मध्यस्थ के सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाये जाएंगे।

उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बाजार मुहैया करवाने एवं किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। प्रदेश में 1.71 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं और 24,000 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर इस विधि से कृषि-बागवानी कर रहे हैं। किसान अपना उत्पाद बेच सकें इसके लिए, अलग-अलग जिलों में सात किसान-उत्पादक कंपनियां भी खोली गई हैं।

जीवनशैली में बदलाव से ओजोन लेयर के संरक्षण में मदद मिलेगी

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने विश्वविद्यालय परिसर में 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: फिक्सिंग ओजोन लेयर और जलवायु परिवर्तन को कम करना' विषय पर विश्व ओजोन दिवस-2023 मनाया। यह कार्यक्रम एन.ए.एच.ई.पी. संस्थागत विकास परियोजना के सहयोग से आयोजित किया गया और इसमें 450 से अधिक स्नातक छात्रों और विभाग के स्पेस क्लब के सदस्यों ने भाग लिया।

इस अवसर कार्यक्रम के संयोजक डॉ. एस.के. भारद्वाज ने बताया कि ओजोन परत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ओजोन दिवस 2023 मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे हमारी गतिविधियां इस प्राकृतिक ढाल को नुकसान पहुंचा रही है। डॉ. भारद्वाज ने बताया कि यह दिन अंतरराष्ट्रीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी स्मरण करता है जिसने ओजोन-क्षयकारी पदार्थो को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अनिवार्य कार्यक्रम स्थापित किया था। वानिकी महाविद्यालय के डीन डॉ. सीएल ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि ओजोन-क्षयकारी पदार्थो का उत्पादन और खपत मानवीय गतिविधियों के कारण अधिक है क्योंकि सनस्पॉट, ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल की आग जैसे प्राकृतिक कारण केवल 2-3% योगदान करते हैं।

मुख्य अतिथि विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. इंद्र देव ने बताया कि 15वीं शताब्दी में केवल 45 करोड़ से बढ़कर जनसंख्या 2023 में 800 करोड़ हो गई है और साथ साथ जीवनशैली में बदलाव ओजोन-क्षयकारी पदार्थो में वृद्धि का कारण है। उन्होंने कहा कि ओजोन ढाल के कमजोर होने से दुनिया भर में लाखों लोग त्वचा कैंसर और अन्य बीमारियों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जीवनशैली और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में संशोधन करने से वातावरण में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थो को कम करने में मदद मिलती है।

इस मौके पर एक भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर की चतुर्थ वर्ष की छात्रा महक मानटा ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया। सिया शर्मा और चेतना क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। कार्यक्रम में विभाग के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। ओजोन-घटाने वाले पदार्थो को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक रैली भी आयोजित की गई।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: त्रटचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने समस्त जमा पूंजी की 51 लाख रुपये की धनराशि आपदा राहत कोष-2023 में दान दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे देश के समक्ष एक मिसाल पेश करते हुए भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी समस्त जमा पूंजी की 51 लाख रुपये की धनराशि आपदा राहत कोष-2023 में दान कर दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर की उपस्थिति में 51 लाख रुपये का चेक मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सौंपा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू संभवतया देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गये हैं, जिन्होंने पद पर रहते हुए अपनी निजी जमा पूंजी सरकार को आपदा से निपटने के लिए दान में दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में समाज का हर वर्ग बढ़-चढ़कर अंशदान कर रहा है। बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर, कर्मचारियों ने अपने वेतन और बुजुर्गों ने पेंशन से अपने सामर्थ्य अनुसार आपदा राहत कोष में दान दिया है। इसे देखकर उनके मन में भी विचार आया कि उन्हें भी अपनी निजी जमा पूंजी से धन आपदा में दान देना चाहिए और ऐसे में अपने बैंक से सारे पैसे निकालकर 51 लाख रुपये दान कर दिए हैं।

इससे पहले भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक सरोकार को अधिमान देते हुए धन दान किया है। कोरोना काल में विधायक के तौर पर उन्होंने एक साल का वेतन और अपनी एफडीआर तोड़कर भी 11 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार को महामारी से लड़ने के लिए दान में दी थी।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, ओएसडी रितेश कपरेट सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

केन्द्र से विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का पुनः आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का हिमाचल में बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन के दृष्टिगत हुई भारी क्षति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखने के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों अपने हिमाचल प्रवास के दौरान कुल्लू, मंडी तथा शिमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत दौरा किया तथा आपदा से पीड़ित लोगों से मुलाकात कर भारी क्षति का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक इस आपदा में 428 लोग काल का ग्रास बने हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 13,000 से अधिक मकान और भवन पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। शिमला से परवाणू राष्ट्रीय राजमार्ग और मण्डी-मनाली राजमार्ग के बड़े-बड़े हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं। राज्य की अनेक सड़कों, पेयजल आपूर्ति योजनाओं एवं विद्युत व्यवस्था को भी भारी क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस आपदा के कारण अभी तक लगभग 12 से 15 हजार करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में राज्य के लोग पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए आपदा राहत कोष में स्वैच्छिक योगदान कर रहे हैं, परन्तु त्रासदी इतनी बड़ी है कि अकेले राज्य सरकार इससे हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में बरसात में आयी इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाये ताकि पीड़ितों को उचित सहायता एवं प्रदेश में क्षतिग्रस्त अधोसंरचना का समुचित पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

आपदा प्रभावितों को निःशुल्क एलपीजी किट एवं राशन प्रदान करेगी प्रदेश सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश में हाल ही की बरसात में प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत एवं सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों से स्थानांतरित कर किराये पर उपयुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आवास किराये पर लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सरकार ने अब प्रभावित परिवारों के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क घरेलू रसोई गैस कनेक्शन किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस किट में एक एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हॉट प्लेट, सुरक्षा पाइप शामिल होंगे और एलपीजी घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से आपदा प्रभावित परिवारों को बिना किसी वित्तीय बोझ के खाना पकाने सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन के अलावा निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवाएगी। इस आवश्यक सामग्री के राशन पैकेज में 20 किलोग्राम गेहूं आटा, 15 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम दाल, एक लीटर सरसों का तेल, एक लीटर सोया रिफाइंड तेल, एक किलोग्राम डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलोग्राम चीनी शामिल है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च, 2024 तक प्रदान की जाएगी, जिससे प्रभावित परिवारों को खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। संबंधित ज़िला नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और खाद्य निरीक्षक इन आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण किराये के आवास में रहने वाले प्रभावित परिवारों तक सुनिश्चित करेंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पहल इस चुनौतीपूर्ण समय में आपदा प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यकता के समय तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रही है तथा प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचने और अपने उपलब्ध संसाधनों से उन्हें सहायता प्रदान करने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

विक्रमादित्य सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की।

विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से अपने निर्वाचन क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने का आग्रह किया।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि शिमला के घनाहट्टी स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एन.एस.टी.आई.) का एक भवन निर्माणाधीन है। उन्होंने इस परिसर में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग योजना के तहत इस परिसर में महिलाओं के लिए ड्राफ्ट्समैन सिविल और फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी जैसे नए ट्रेड शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत महिला प्रशिक्षुओं को डेस्कटॉप पब्लिशिंग, स्टेनोग्राफर और सेक्रेटेरिएल असिस्टेंट (अंग्रेजी) में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य उत्पादन एवं खाद्य पेय सेवा इत्यादि की उपयुक्त सुविधा व आधारभूत ढांचा उपलब्ध है परंतु इस ट्रेड का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने एनएसटीआई परियोजना में सुधार के लिए अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव तैयार करने का आग्रह किया।

केन्द्रीय मंत्री ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

टांडा मेडिकल कॉलेज में 25 सितम्बर से शुरू होगी ओपन हार्ट सर्जरी सुविधा: स्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने बताया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के घर-द्वार उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। इसी के दृष्टिगत डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा में हृदय शल्य चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह केन्द्र 25 सितम्बर, 2023 से कार्यशील हो जाएगा। इसके तहत टांडा मेडिकल कॉलेज के सीटीवीएस विभाग में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू की जाएंगी। इसके लिए अटल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशिएलिटीज शिमला के विशेषज्ञों का दल भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में हृदय शल्य चिकित्सा केन्द्र स्थापित होने से विशेष तौर पर प्रदेश के निचले क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी।

डॉ. शांडिल ने कहा कि हिमाचल सरकारी क्षेत्र में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा प्रदान करने वाले देश के चुनिन्दा राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला पहला संस्थान बना। यह हिमाचल जैसे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी चूंकी उस समय पूरी उत्तरी भारत में सरकारी क्षेत्र में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा केवल मात्र पीजीआई चण्डीगढ़ एवं शेर-ए-कश्मीर इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साईंसेज श्रीनगर में ही उपलब्ध थी।

उन्होंने कहा कि इसके 18 वर्षो के उपरान्त आज भी उत्तरी भारत के राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत आईजीएमसी शिमला ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और प्रतिमाह यहां 20 से 25 ओपन हार्ट सर्जरी की जाती हैं तथा इनकी सफलता की दर 95 प्रतिशत से अधिक रही है। उन्होंने कहा कि सभी आयुवर्ग के पात्र मरीजों को विभिन्न योजनाओं के तहत हृदय रोग से संबंधित निःशुल्क उपचार की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक आईजीएमसी में चार हजार से अधिक रोगियों की ओपन हार्ट सर्जरी की जा चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खण्ड स्तर पर लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इन स्वास्थ्य संस्थानों में छः विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त रोबोटिक सर्जरी सहित अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

राहत शिविरों में शरण लेने वाले परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने आवास किराए की घोषणा की

ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार और शहरी क्षेत्रों में दस हजार रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा आवास का मासिक किराया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत राहत शिविरों में अस्थाई तौर पर रह रहे परिवारों को उपयुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें आवास का निश्चित मासिक किराया उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में अस्थाई तौर पर रह रहे परिवारों को आवास किराए पर लेने के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को दस हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत आवास की राशि उन परिवारों को प्रदान की जाएगी जो 12 सितम्बर, 2023 तक जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रह रहे हों। प्रभावित परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। प्रभावित परिवार जब पुनः अपने घर या आवास में स्थानान्तरित होगा तब यह मासिक किराया राशि बंद कर दी जाएगी। यदि किसी परिवार को उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं होता है तो वह राहत शिविर में रहना जारी रख सकता है। यह योजना 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अस्थाई तौर पर कई जिलों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इनमें से बहुत से शिविर स्कूलों और मेक शिफ्ट आवास में स्थापित किए गए हैं। स्कूलों में शिविर स्थापित होने से बच्चों की पढ़ाई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अस्थाई शिविरों में शरण लेने वाले वाले परिवारों को उपुयक्त आवास किराए पर लेने के लिए प्रतिमाह निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है।

पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

गठबंधन के साथ कांग्रेस को अपने राज्यों पर भी नजर रखनी होगी

संसद के विशेष सत्र में क्या घटता है इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिये गठित कमेटी से चुनावो को लेकर क्यास लगने शुरू हो गये हैं। इन्हीं क्यासों के बीच जी-20 के शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर इण्डिया बनाम भारत का मुद्दा आ गया। इसी मुद्दे के बीच सनातन का मुद्दा आ गया। सनातन को लेकर तमिलनाडु के दो नेताओं के ब्यान से यह मुद्दा उभरा और इसमें सीधे प्रधानमंत्री शामिल हो गये। प्रधानमंत्री ने सनातन पर उठते सवालों का पूरी कड़ाई के साथ जवाब देने का आहवान किया है। अभी संघ की हुई शीर्ष बैठक में देश का नाम भारत करने की वकालत की है। सनातन पर जो ब्यान उदय निधि स्टालिन और ए राजा के आये हैं उन ब्यानों से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये राजकीय भोज का निमंत्रण राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को न दिये जाने पर कांग्रेस के तीन मुख्यमंत्रीयों का न जाना और केवल एक हिमाचल के मुख्यमंत्री का जाना कांग्रेस के अन्दर की राजनीति पर सवाल उठता है परन्तु इण्डिया के घटक दलों में से कुछ का इसमें शामिल होना और कुछ का गैर हाजिर रहना गठबन्धन के अन्दर की राजनीति पर सवाल उठाता है। इसी बीच इण्डिया गठबन्धन की मुंबई बैठक में राहुल गांधी के पत्रकार सम्मेलन में एनडीटीवी चैनल के ब्यूरो प्रमुख का आने से पहले ही चैनल से त्यागपत्र देना और उसके कारणों के बाहर आने इण्डिया गठबन्धन का नफरती एंकरों के बहिष्कार का फैसला आना अपने में एक महत्वपूर्ण घटना है।

पिछले कुछ ही दिनों में जो यह सब कुछ घटा है यदि उस सबको एक साथ मिलाकर देखा और समझा जाये तो एक बड़ी तस्वीर ऊभर कर सामने आती है। इण्डिया बनाम भारत के मुद्दे पर संघ की टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है कि इस विशेष सत्र में इण्डिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रयास अवश्य किया जायेगा। इस नाम बदलने के साथ ही कुछ और भी बदलने का प्रयास किया जा सकता है। यह और क्या होगा इसका अनुमान लगाना आसान नहीं होगा। इस बदलाव पर जो प्रतिक्रियाएं उभरेगी उन्हें सनातन धर्म का विरोध करार देकर विपक्षी गठबंधन में शामिल हर दल को अपना अपना स्टैण्ड लेने के लिये बाध्य किया जायेगा। इस तरह एक ऐसी बहस का वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया जायेगा जिसमें अन्य मुद्दे गौण होकर रह जायेंगे। विपक्षी एकता राज्यों और लोकसभा के चुनावों के मुद्दे पर ही अपनी अपनी हिस्सेदारी के नाम पर बांटने के कगार पर आ जायेगी। क्योंकि कुछ दलों की महत्वाकांक्षा अपने-अपने विस्तार के लिये कांग्रेस को अपने राह की सबसे बड़ी रुकावट मानेंगे। क्योंकि सतारूढ़ भाजपा दलों के इस द्वन्द्व को अवश्य उभारेगी ताकि विपक्षी एकता की गंभीरता को लेकर जनता में सवाल खड़े किये जा सके। सनातन पर आयी कुछ नेताओं की टिप्पणियां इसी परिप्रेक्ष में देखी जा रही है।

दूसरी और आज मोदी सरकार के खिलाफ देश की आर्थिकी को लेकर जितने सवाल हैं यदि वह सारे सवाल पूरी गंभीरता और तथ्यों के साथ देश की जनता के सामने एक साथ लाकर खड़े कर दिये जायें तो इस सरकार के पास कोई आधार ही नहीं बचता है। परन्तु इस समय ऐसे कोई सवाल योजनाबद्ध तरीके से उठाये नहीं जा रहे हैं। इण्डिया गठबन्धन में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। गठबन्धन के प्रति अपनी गंभीरता और प्रतिबद्धता दिखाते हुए राहुल गांधी ने अपने को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होने से लेकर इण्डिया की हर कमेटी से अपने को बाहर रखा है ताकि गठबन्धन की किसी भी असफलता का कारण उन्हें न बना दिया जाये। राहुल का यह फैसला एक बहुत ही सुलझे हुये नेता का फैसला है। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस को अपनी राज्य सरकारों पर नजर रखनी होगी। क्योंकि यदि कांग्रेस को अपने ही राज्यों से लोकसभा में सारी सीटें न मिली तो इसका सीधा असर भी राहुल और प्रियंका के नेतृत्व पर ही पड़ेगा। क्योंकि इस समय हाईकमान इन्हें ही माना जा रहा है। हिमाचल को लेकर कांग्रेस के अपने सर्वे में ही यह आ चुका है कि यहां की चारों सीटों पर कांग्रेस कमजोर है। इस कमजोरी की जिम्मेदारी हाईकमान के नाम लगेगी क्योंकि कार्यकर्ताओं की नजर अन्दाजी और नाराजगी वहां तक पहुंचा दी गयी है।

खेती किसानी/ किसानों की बढ़ती आत्महत्या की संख्या भारत के आर्थिक दशा का मूल्यांकन

गौतम चौधरी

अभी हाल ही में भारत सरकार के एक खास प्रतिष्ठान नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2019 के बाद किसानों की आत्महत्या में 30 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। रिपोर्ट में विस्तार से इस बात पर चर्चा की गयी है। साथ ही 2019 के बाद प्रतिवर्ष कितने किसानों ने आत्महत्या की उसका भी रिपोर्ट जारी किया गया है। सच पूछिए तो भारत, एक कृषि प्रधान देश है और यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खेती-किसानी पर आधारित है। अगर भारत की खेती चौपट हो जाती है तो लाख कोशिश के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो जायेगी। हमारे यहां किसानों की आत्महत्या, एक सामाजिक और आर्थिक समस्या के रूप में देखा जा सकता है। पिछले कुछ सालों में यह गंभीर रूप लिया है और 2019 के बाद से इसकी वृद्धि को लेकर चिंता स्वाभाविक है। इस लेख में, हम किसानों की आत्महत्या के पीछे के कारणों और समाधानों के बारे में विचार करेंगे।

किसानों की आत्महत्या के कारणों पर गौर किया जाये तो कई तथ्य सामने आते हैं। जब से खेती में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है तब से किसान अक्सर आर्थिक समस्याओं का सामना करते देखे जा रहे हैं। जैसे कि कर्ज, उचित मूल्य न मिलने और नकदी की कमी। किसानों को उनके फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। यहां बिचौलिये बड़े प्रभावशाली तरीके से सक्रिय होते हैं, जो किसानों के हक को मार ले जाते हैं। सरकार इस दिशा में कई कदम उठाई है लेकिन उसका प्रतिफल सामने नहीं आ पा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि बाजार में टमाटर की कीमत 50 रूपये हैं तो किसानों को किलो पर मात्र 10 रूपये ही प्राप्त हो पाता है। दूसरी बात किसानों को अभी भी अपने फसल की बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध नहीं हो पाया है। जहां सहकारी या सरकारी मंडियां हैं वहां भी किसानों को सरकार के द्वारा जारी समर्थन मूल्य से कम पर अपना उत्पाद बेचकर वापस आना होता है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके साथ परेशानी होती है। वे कई दिनों तक मंडियों का धक्का खाते रहते हैं। मंडियों के आढ़ती इतने सशक्त और संगठित हैं कि वहां किसानों की एक नहीं चलती है। सरकार फसलों पर लगातार समर्थन मूल्य बढ़ाती जा रही है। उसी समर्थन मूल्य के अनुसार बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल आदि के दाम बढ़ जाते हैं। इधर किसान अपनी फसलों के लिए महंगे खाद, बीज, किटनाशकों का उपयोग करते हैं लेकिन जब उत्पाद सामने होता है तो उसकी कीमत बेहद कम लगाई जाती है। इस पर सरकार को तसल्ली से विचार करना होगा।

दूसरी बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन की है। अद्यतन जलवायु परिवर्तन परिवर्तन के कारण बारिश, अनियमित होने लगी है। यही नहीं जहां पानी की कमी नहीं होती थी वहां बारिश कम हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रकार की समस्या आ रही है। इस परिवर्तन के कारण भी किसान परेशान हैं।

आत्महत्या के लिए किसानों का मानसिक स्वास्थ्य भी जिम्मेबार है। धन, समाजिक दबाव और किसानों की अधिकतम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण, उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण भी किसान आत्महत्या के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावे किसानों में अनुभव और ज्ञान की कमी भी देखी जा रही है। भारत के अधिकतर किसान आधुनिक तकनीक से दूर हैं। वे छोटे और मझोले किस्म के किसान हैं लेकिन खेती की तकनीक का जो वे उपयोग करते हैं वे बड़े किसानों वाली होती है। इसके कारण उनकी खेती मंहगी हो जाती है। यदि वे प्रशिक्षित हों तो इस प्रकार की गलती वे नहीं करेंगे। यही नहीं किसानों को यह सोचना होगा कि उनकी फसल का आखिर बढ़िया बाजार कहां उपलब्ध होगा। बाजार आधारित खेती भारतीय किसानों की आदत में ही नहीं है।

इस सबसे महत्वपूर्ण बात सरकारी नीतियों की है। भारत सरकार इन दिनों किसानों के खाते में सहयोग के तौर पर सीधे राशि उपलब्ध करा दे रही है। इसमें सरकार की मन्शा पर तो प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। सरकार को इसके लिए बड़े त्याग करने होंगे। साथ ही किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या फसलों के बाजार की है उसके लिए सरकार को ही प्रयास करना होगा। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इसे दूर करना जरूरी है।

समाधान के तौर पर देखें तो किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए उसे ऋणमुक्ति करना होगा। कुछ राज्य सरकारें किसानों के लिए ऋणमुक्ति कार्यक्रम चला रही हैं जिससे उनका कर्जा माफ किया जा रहा है लेकिन यह नाकाफी है। इसे बड़े पैमाने पर चलाना होगा। मूल्य निर्धारण की समस्या का समाधान तत्काल करना होगा। सरकारें किसानों के उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार कर रही हैं लेकिन इसका भी दायरा बढ़ाना होगा। कृषि बीमा इसके लिए एक समाधान तो है लेकिन इसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। किसानों को अप्राकृतिक हानियों से सुरक्षित रखने के लिए कृषि बीमा योजनाएं प्रदान की जा रही हैं। इसे और प्रभावशाली बनाना होगा। किसानों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी होगी। सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्वायत्तता प्रभावशाली अभिकरण की स्थापना करे जो किसानों को तकनीकी सहायता और आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण प्रदान करे।

कुल मिलाकर किसानों की आत्महत्या एक गंभीर समस्या है और इसका समाधान बेहद जरूरी है। इसके लिए किसानों को भी थोड़ा आगे आना होगा। इस बड़ी समस्या से जूझने के लिए केवल सरकारी सहायता जरूरी नहीं है। सरकार के साथ ही साथ समाज और विभिन्न स्थानीय संगठनों को भी आगे आना होगा। खेती किसानी में सुधार के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए केवल सरकार को ही नहीं कोसा जा सकता है खुद को भी इसके लिए जिम्मेदार मानना होगा और उसके आधार पर रणनीति तय करनी होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां के किसानों का महत्व देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यधिक है। किसान निरंतर अन्न और फसलें उत्पादित करके देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसके लिए भी किसानों का बचा रहना जरूरी है।

स्वच्छता न सिर्फ हर सरकारी योजना का बल्कि नागरिकों की जीवन शैली का भी मूलभूत सिद्धांत बन गया है: केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी

शिमला। स्वच्छ भारत मिशन भी 'अंत्योदय से सर्वोदय' के दर्शन का एक ज्वलंत उदाहरण है। आवास एवं शहरी मामलों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने हमारे शहरों के हाशिये पर रहने वाले और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी है और शहरी गरीबों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया है। पुरी आज स्वच्छता ही सेवा–2023 के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे।

स्वच्छ भारत दिवस की प्रस्तावना के रूप में, स्वच्छ भारत मिशन–शहरी और ग्रामीण द्वारा संयुक्त रूप से 15 सितंबर से 2 अक्तूबर 2023 के बीच वार्षिक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े का उद्देश्य भारतीय स्वच्छता लीग 2.0, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और सामूहिक स्वच्छता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश भर में करोड़ों नागरिकों की भागीदारी जुटाना है।

स्वच्छता ही सेवा–2023 को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए किया।

इस आयोजन के दौरान, लेह, लद्दाख, पिंपरी, महाराष्ट्र, मेरठ, उत्तर प्रदेश, लखीमपुर, असम के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने–अपने शहरों में स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के सर्वोत्तम तरीके साझा किये।

कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता ही सेवा–2023 पर एक वीडियो लॉन्च किया गया। इसके अलावा, इस कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा–2023 का लोगो, वेबसाइट और पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर 'इंडियन स्वच्छता लीग 2.0', 'सफाईमित्र सुरक्षा शिविर' लोगो और 'नागरिक पोर्टल' का भी शुभारम्भ किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता ही सेवा–2023 के शुभारम्भ के बारे में बात करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की आगामी नौवीं वर्षगांठ और 'स्वच्छता ही सेवा' 2023 का शुभारंभ उत्सव का पल है। अब समय आ गया है कि हम अपने शहरों को साफ–सुथरा रखने के लक्ष्य के प्रति फिर से प्रतिबद्ध हों। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के शुभारम्भ के साथ, हम स्वच्छता के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, तो इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन की पहले कभी कल्पना नहीं की गई थी। तब तक स्वच्छता पर खराब प्रदर्शन के बावजूद, भारत ने अगले पांच वर्षों में खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत में सभी 4,884 शहरी स्थानीय निकाय(100 प्रतिशत) अब खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत हुए बदलाव के बारे में बात करते हुए पुरी ने बताया कि 73.62 लाख शौचालय (67.1 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 6.52 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय) बनाकर हमने लाखों शहरी गरीबों को सम्मान और स्वास्थ्य प्रदान किया है। भारत के 95 प्रतिशत वार्डो में 100 प्रतिशत घर–घर से कचरा संग्रहण होता है। 88 प्रतिशत से अधिक वार्डो में कचरे को अलग करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हुआ, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन एक सामान्य सरकारी कार्यक्रम के बजाय एक 'जन आंदोलन' बन गया है।

हरदीप सिंह पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता न सिर्फ हर सरकारी योजना में बल्कि नागरिकों की जीवन शैली का भी मूलभूत सिद्धांत बन गया है।

स्वच्छ भारत मिशन की अब तक की उपलब्धियों पर ध्यान आकर्षित करते हुए आवास एवं शहरी कार्य मंत्री ने बताया कि पिछले नौ वर्षो में 12 करोड़ शौचालय बनाये गये हैं, जिससे देश को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि हमारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो मिशन की शुरुआत में लगभग न के बराबर था, अब प्रभावशाली 76 प्रतिशत पर है और जल्द ही हम शत–प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

उन्होंने बताया कि मिशन के शहरी घटक को अब स्वच्छ भारत मिशन– शहरी 2.0 (एसबीएम–यू 2.0) के माध्यम से वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसका लक्ष्य हमारे सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाना और विरासत में मिले कूड़ा–कचरा स्थलों का समाधान करना है। स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 के फोकस क्षेत्रों में कई पहलू शामिल हैं। इनमें सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), अपशिष्ट–से–ऊर्जा संयंत्र (डब्ल्यूटीई संयंत्र), निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, रिफ्यूज व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) संयंत्र, वैज्ञानिक तरीके से लैंडफिल साइट और पुराने कचरे का निवारण शामिल हैं।

इस अवसर पर समापन भाषण में केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि प्रत्येक शहर, गांव, वार्ड और पड़ोस स्वच्छता के लिए अपने श्रमदान (स्वैच्छिक श्रम) का योगदान करने का संकल्प लेंगे। उन्होंने लोगों से यह सुनिश्चित करने का संकल्प लेने का आग्रह किया कि हमारे शहर कचरे से मुक्त हों और संपूर्ण स्वच्छता वास्तविकता बने।

'स्वच्छता ही सेवा' के बारे में

2 अक्टूबर, 2023 को स्वच्छ भारत दिवस की तैयारी के रूप में, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए अन्य मंत्रालयों के सहयोग से 15 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2023 तक 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। 2 अक्तूबर को राष्ट्र महात्मा गांधी की जयंती मनाता है।

मिशन की रीढ़ स्वच्छता के लिए जन आंदोलन रही है। स्वच्छता ही सेवा 2023 का मूल विषय 'कचरा मुक्त भारत' है। स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में नियोजित कार्यक्रम स्वच्छता दिवस 2023 की तैयारी के रूप में काम करेंगे और भारत को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए सभी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे।

स्वच्छता ही सेवा–2023 स्वेच्छा और श्रमदान की भावना के साथ–साथ सफाई मित्रों के सहयोग से स्थानीय निकायों में संपूर्ण स्वच्छता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। सभी मंत्रालय और विभाग कार्यालयों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, समुद्रतटों, पर्यटन स्थलों, चिड़ियाघरों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों, ऐतिहासिक स्मारकों, विरासत स्थलों, नदी के किनारों और घाटों जैसे अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाएगा।

सफाई गतिविधियों में सभी महत्वपूर्ण स्थानों से कचरा हटाना, पुराने कचरे को साफ करना, कूड़ेदान, सार्वजनिक शौचालय, कचरा स्थल, अपशिष्ट ढोने वाले वाहनों और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं जैसी सभी स्वच्छता संपत्तियों की मरम्मत, पेंटिंग, सफाई और ब्रांडिंग करना, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ भारत मिशन दीवार पेंटिंग, स्वच्छता प्रश्नोत्तरी का आयोजन, वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता शपथ और स्वच्छता दौड़ आदि कार्यक्रम शामिल होंगे।

स्वच्छता ही सेवा–2023 के तहत आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां यह हैं:

स्वच्छता ही सेवा–एक पखवाड़े तक चलने वाला स्वच्छता अभियान

स्वच्छता इस पखवाड़े में हवा में गूंजेगी, क्योंकि हर कोई बड़े पैमाने पर सफाई अभियान और 'ट्विन बिन' एवं कूड़ा पृथक्करण के लिए जागरूकता के अभिनव और अनूठे तरीकों के साथ साफ सफाई में जुटेगा। स्वच्छता ही सेवा–2023 अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के सभी मंत्रालय, पीएसयू, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। पर्यटन मंत्रालय के तहत उच्च पर्यटक स्थलों/तीर्थ स्थलों की सफाई होगी, रेलवे द्वारा रेलवे प्लेटफार्मों और आस–पास के क्षेत्रों की 'हर पटरी, साफ सुथरी' सफाई गतिविधियां, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग स्वच्छता ही सेवा गतिविधियों में विश्वविद्यालयों और स्कूली छात्रों को शामिल करेगा, जबकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोल पंपों आदि पर स्वच्छता और जागरूकता अभियान आयोजित करेगा।

2. भारतीय स्वच्छता लीग 2.0

अपनी तरह की पहली 'भारत स्वच्छता लीग' (आईएसएल) का दूसरा संस्करण देश में सफाई को लेकर धूम मचाने के लिए तैयार है। युवाओं के नेतृत्व में आईएसएल का सीज़न 2 और भी अधिक रोमांचक और मजेदार स्वच्छता लीग होने का वादा करता है। 4,000 से अधिक शहरी टीमें युवाओं के नेतृत्व वाली नागरिक टीमों के माध्यम से 17 सितंबर को कचरे के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए तैयार हैं। इस वर्ष, शहर की टीमें समुद्रतटों, पहाड़ियों और पर्यटन स्थलों को साफ करने के लिए रैली करेंगी। आईएसएल 2.0 इस पखवाड़े में स्वच्छता के लिए बड़े पैमाने पर युवा समूहों को संगठित करेगा। स्वच्छता लीग स्वच्छ भारत मिशन के तहत युवा कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।

3. सफाई मित्र सुरक्षा शिविर

स्वच्छ भारत मिशन–शहरी के नौ साल और स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 के दो साल पूरे होने के मौके पर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए 17 सितंबर, 2023 से आगे देश भर के विभिन्न शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के रूप में एकल खिड़की कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करना और उनकी भलाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। शिविर का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) में सभी स्वच्छता कार्यकर्ताओं को लक्षित करना है। इसके तहत प्रमुख गतिविधियां जन जागरूकता, निवारक स्वास्थ्य जांच, योग शिविर और विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर केंद्रीय और राज्य योजनाओं के विभिन्न कल्याणकारी लाभों का विस्तार करने पर केंद्रित होंगी।

प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को दिया जा रहा बढ़ावा

हिम उन्नति से सुनिश्चित होगी उन्नत कृषि की राह, प्रदेश में 1239 क्लस्टर की पहचान

शिमला। हिमाचल प्रदेश को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नित नए नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश सरकार की हिम उन्नति, मुख्यमंत्री कृषि संवर्द्धन योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण जैसी योजनाएं किसानों के सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का ज़रिया बन रही हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 में कृषि विकास के लिए 607.47 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और यह क्षेत्र लगभग 70 प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का लगभग 13.47 प्रतिशत योगदान है। प्रदेश में 9.97 लाख किसान परिवार हैं तथा 9.44 लाख हैक्टेयर भूमि पर काश्त होती है। प्रदेश में 88.86 प्रतिशत किसान सीमान्त तथा लघु वर्ग के हैं जिनके द्वारा 55.93 भूमि पर खेती की जाती है। प्रदेश के 10.84 प्रतिशत किसान मध्यम श्रेणी से हैं और केवल 0.30 प्रतिशत किसान ही बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। खाद्यान्नों के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में राज्य में 738.14 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में 1593.92 हजार मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया गया है।

अन्नदाता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नवोन्मेषी योजना हिम उन्नति क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत क्षेत्र विशेष आधारित एकीकृत और समग्र कृषि को प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में चिन्हित किए गए समूहों के लिए भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए शंकुल (क्लस्टर) तैयार किए जा रहे हैं।

इस योजना के तहत कृषि और उससे सम्बन्धित क्षेत्र के समेकित विकास करने के लिए न्यूनतम 40 बीघा खेती योग्य क्षेत्र वाले 1239 शंकुलों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत कुल 2600 क्लस्टर तैयार किए जाएंगे जिनमें कृषि विभाग द्वारा 1200, प्राकृतिक खेत इकाई के 1100 और जायका के 300 क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। कृषि एवं सम्बंधित विभागों द्वारा पूर्व में चल रही योजनाओं का समन्वय कर, एकीकृत माध्यम से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

वर्तमान वित्त वर्ष में योजना के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। हिम उन्नति के अंतर्गत अब तक 286 क्लस्टरों को चिन्हित किया गया है जिनमें से 186 क्लस्टरों में खरीफ 2023 सीजन से गतिविधियां शुरू कर दी गई है।

फसलों की पैदावार बढ़ाने में उन्नत बीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार द्वारा सरकारी फार्मों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 464 हेक्टेयर क्षेत्र के 36 विभागीय फार्म हैं। इन सरकारी फार्मों पर विभिन्न फसलों के लगभग 17 हजार क्विंटल आधार बीज का वार्षिक उत्पादन किया जाता है। यह प्रमाणित बीज राज्य के प्रगतिशील किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं।

राज्य को गुणवत्तापूर्ण बीजों की दृष्टि से आत्मनिर्भर राज्य के रूप में विकसित करने और पड़ोसी राज्यों से बीज खरीद पर निर्भरता कम करने के मद्देनजर राज्य के सरकारी फार्मों के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2023–24 में इसके लिए 1.28 करोड़ रुपये आंवटित किए गए है। वैज्ञानिक पद्धति आधारित कृषि को बल देते हुए प्रदेश में 11 मृदा परीक्षण, 3 उर्वरक परीक्षण, 3 बीज परीक्षण, 2 जैव नियंत्रण, एक राज्य कीटनाशक परीक्षण, एक जैव उर्वरक उत्पादन व गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का संचालन किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के सतत विकास की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक को प्रयोगशाला से निकाल कर खेतों तक पहुंचाकर किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के परिदृश्य को बदलने में सहायक सिद्ध होंगी।

70 करोड़ से होगा छैला–यशवंत नगर वाया नेरी पुल सड़क का सुदृढ़ीकरण:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डो, निगमों, स्थानीय निकायों इत्यादि के अन्तर्गत ग्रुप–सी के विभिन्न पदों की भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना–2023 को स्वीकृति प्रदान की और इस योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये आबंटित करने का निर्णय लिया। इस योजना से लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

बैठक में लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय मामलों के लम्बित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरूस्ती, इन्द्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यो को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक–2023 लाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में ऐसे कर निर्धारण मामले जो लंबित थे व न्यायालयों में लंबित कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 1 अक्तूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राजस्व अनुकूलन के लिए वित्त वर्ष 2024–25 से एच.पी.एस.ई.बी.एल., एच.पी.पी.सी.एल. और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में रणनीतिक और विद्युत के क्रय एवं विक्रय के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया।

बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति–2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नये प्रावधान छत पर (रूफ टॉप) सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहन प्रदान कर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।

बैठक में एस.एम.सी. शिक्षकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से 2,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 2115 शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से 3900 रुपये से बढ़ाकर 4400 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, इससे 283 जलवाहक लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमण्डल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया, इनमें 877 पुरूष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल तथा 57 कांस्टेबल चालक शामिल हैं।

मंत्रिमण्डल ने अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के दृष्टिगत उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया।

बैठक में उद्यान विभाग में उद्यान प्रसार अधिकारी के 50 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के आठ पद सृजित कर भरने तथा इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में सहायक आचार्य का एक पद भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने तथा यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जनजातीय क्षेत्र नियम, 1995 के लिए किसी एक विशेष योजना के लिए बीजक बजट में व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया। यह बजट जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।

एकल ट्रेडिंग डेस्क के परिचालन को 200 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत व्यापार रणनीतियों और क्रय–विक्रय के समन्वय में क्रांतिकारी बदलाव लाने के दृष्टिगत एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव आएगा तथा वित्त वर्ष 2024–25 में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कुशल योजना तैयार करने में मदद के साथ ही ऊर्जा संसाधनों का आर्थिक निक्षेप सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध हैं जिससे 24,567 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का अनुमान है, जबकि अभी तक 172 जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 11,150 मेगावाट का ही दोहन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र की तीन महत्त्वपूर्ण इकाईयों ऊर्जा निदेशालय (डीओई), हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है और सरकार इस पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि संचार की कमी और असमान मूल्य निर्धारण रणनीतियों के कारण कभी–कभी कम दरों पर बिजली का विक्रय और उच्च लागत पर खरीद की जाती है, जिससे अक्षमताएं बढ़ने के साथ ही प्रदेश को राजस्व का भी नुकसान होता है।

इस पहल के महत्व पर बल देते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऊर्जा निदेशालय, अन्य संस्थाओं के विपरीत, एक विनियमित इकाई नहीं है और विद्युत बिक्री से सारा राजस्व सरकारी प्राप्तियों में प्रवाहित होता है। इसके विपरीत, एचपीपीसीएल और एचपीएसईबीएल के विद्युत क्रय–विक्रय और गतिविधियों को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) द्वारा पूर्व–अनुमोदन आवश्यक है। इसके दृष्टिगत राजस्व को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ विद्युत विक्रय और खरीद प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीय सेल स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तीसरे संवितरण संकेतक के अनुरूप ऊर्जा निदेशालय, एचपीपीसीएल और एचपीएसईबीएल के मौजूदा व्यापारिक अनुबंधों को एकल ट्रेडिंग डेस्क में विलय करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार द्वारा इसके परिचालन के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तनकारी एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क विद्युत व्यापार के क्षेत्र में बहुआयामी भूमिका निभायेगा। इससे न केवल विद्युत व्यापार में सुगमता होगी बल्कि यह एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और डीओई को समन्वित करते हुए प्रदेश में विद्युत व्यापार की देखरेख करने वाली एक एकीकृत, स्वतंत्र इकाई गठित करने के लिए संरचनात्मक और वित्तीय पहलुओं का भी पता लगाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियों पर लागू नियामक ढांचे के भीतर आपसी निपटान व्यवस्था स्थापित करना है। डेस्क की उन्नत क्षमताएं हाइड्रो और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के लिए सटीक ऊर्जा पूर्वानुमान को सक्षम बनाएंगी, जिससे राज्य में उत्पादित बिजली की प्रभावी ढंग से बिक्री की क्षमता में वृद्धि होगी और नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व या हाइड्रो खरीद दायित्व के लाभों में भी बढ़ौत्तरी हो सकेगी। यह समग्र विचलन निपटान तंत्र शुल्क को कम करने में सहायक होगा तथा हिमाचल को देश का अग्रणी हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

एचपीएसडीएमए 01 से 15 अक्तूबर तक समर्थ कार्यक्रम आयोजित करेगा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर इस वर्ष भी समर्थ कार्यक्रम के 13वें संस्करण का आयोजन 01 से 15 अक्तूबर 2023 तक किया जा रहा है। समर्थ के अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं के अलावा जिला स्तर पर नुक्कड़ नाटक, मेमोरी वाक सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2 अक्तूबर 2023 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में मानसून से संबंधित आपदा से निपटने और भूस्खलन, भूकंप, आग, हवा आदि जैसे खतरों से निपटने के लिए सुरक्षित समाधानों को बढ़ावा देने पर विचार–विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समर्थ–2023 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में 13 अक्तूबर को प्रातः 11 बजे भू–स्वलन, भूकम्प, आगजनी, फ्लैश फ्लड जैसे खतरों से निपटने के लिए मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 01 से 09 अक्तूबर तक आपदा जागरूकता संबंधी नारा लेखन, प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग और पोस्टर बनाना इत्यादि प्रतियोगिताए आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त एचपीएसडीएमए द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 से 14 अक्तूबर तक एक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया जाएगा। प्रदर्शनी में प्राधिकरण की विभिन्न नवाचार, सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण गतिविधियां, बचाव उपकरणों और आपदा प्रबंधन से संबंधित आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सीपीआर तकनीक, अग्निशमन यंत्र के उपयोग इत्यादि विभिन्न जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने स्कूलों को स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में मदद करने के लिए स्कूल सेफ्टी मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। मोबाइल ऐप का उद्देश्य है मॉकड्रिल के संचालन सहित स्कूल स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों के दस्तावेज तैयार करना और कमियों की पहचान कर उनमें सुधार की सम्भावनाओं को बताना है। इस पहल का लक्ष्य 13 अक्तूबर, 2023 तक मोबाइल ऐप के माध्यम से आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी का शत–प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है। स्कूल सेफ्टी मोबाइल ऐप एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफार्मो पर उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि स्कूल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में भागीदारी और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूल आपदा प्रबंधन योजना को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत शीर्ष प्रविष्टि को एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा और अगली 3 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों प्रत्येक को 50,000 रुपये और 6 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों प्रत्येक को 30,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस पुरस्कार राशि का उपयोग स्कूलों के मौजूदा आपदा प्रबंधन ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाएगा। विजेताओं को शिमला में 12 अक्तूबर को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। प्राधिकरण द्वारा केवल 30 सितम्बर, 2023 तक स्कूलों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं को पुरस्कार के लिए शामिल किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थान किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ विजय कुमार से मोबाइल नंबर 9459255230 पर संपर्क कर सकते हैं।

25 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगी भाजपा:बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुए 10 महीने हो चुके हैं और जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है तब से 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर चुकी है, जिसका वह आज तक जवाब नहीं दे पाये। भारतीय जनता पार्टी ने डीजल पर 7 रु की कटौती की थी, पर आते ही इस कांग्रेस सरकार ने इसको बड़ा दिया। बिजली, राशन, तेल महंगा कर महंगाई की मार से हिमाचल प्रदेश की जनता की कमर को तोड़ दिया।

आपदा प्रबंधन की दृष्टि से यह सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है, आपसी विरोधाभास के चलते हिमाचल प्रदेश की जनता प्रभावित हुई है।

आपदा राहत राशि में मेरा तेरा का राग गा कर, भाई भतीजावाद इस सरकार ने फैलाया है, जब से यह सरकार आयी है तब से कानून व्यवस्था ताड़ ताड़ हो गयी है। चंबा हत्याकांड अभी तक लोग भूल नहीं पाये है और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से कानून व्यवस्था बिगड़ने के कई उदाहरण सामने आये है। अब तो मुख्यमंत्री के गृह जिला में एक बहन का मुंह काला कर, बाल काट कर गांव में घुमा दिया यह, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पर इस घटना से कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। अगर देखा जाये तो यह सरकार हर फ्रंट पर नाकामयाब है।

भारतीय जनता पार्टी और

विधायक दल मिलकर 25 सितंबर को विधानसभा के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे है। यह प्रदर्शन इस सरकार को जताने के लिए होगा कि तुम्हारी 10 गारंटी कहां गई, आम जनमानस जो सरकार से अपेक्षाएं रख रहा था यह सरकार उन अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं हो पाई। कानून व्यवस्था , महंगाई , गारंटी, विरोधाभास, बदला बदली की भावना, संस्थान बंद करना, आपदा में मेरा तेरा, को लेकर भाजपा विधानसभा का घेराव करेगी।

राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं बोनस प्रदान करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित के निदेशक मण्डल की 213वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम के कर्मचारियों को 01 जनवरी, 2022 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

निदेशक मण्डल ने वर्ष 2022-23 के लिए निगम के कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने का भी निर्णय लिया, जिससे लगभग 253 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

बैठक में निगम में चार वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके दैनिक भोगी सभी पात्र कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल, 2023 से वन निगम के दैनिक भोगियों और पार्ट टाईम वर्कर्स को बढ़ी हुई दरों पर दिहाड़ी प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन निगम को सुदृढ़ करते हुए इसे एक आत्मनिर्भर एवं लाभदायी संगठन बनाने के लिए प्रदेश सरकार अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि निगम में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 100 वन मित्र की भर्ती की जाएगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन निगम को निजी भूमि पर चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालने तथा राज्य से बाहर इसके परिवहन की समस्या को हल करने से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इससे उत्पादक किसानों को लाभ प्राप्त होगा और प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने बिरोजा सहित अन्य वन उत्पादों के निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण में अत्याधुनिक तकनीक के समावेश पर बल दिया। उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली के डिजिटलीकरण पर बल देते हुए निगम को ईंधन व ईमारती लकड़ी, बिरोजा सहित अन्य वन उत्पादों के बारे में लोगों को त्वरित सूचना उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत एक पोर्टल भी विकसित करने के निर्देश दिए।

ठियोग विस क्षेत्र में विकास कार्यों को करोड़ों का बजट मंजूरः राठौर

शिमला/शैल। ठियोग उप मंडल के तहत पड़ने वाली नाहौल पंचायत में ठोडा मेले का आयोजन किया गया। तीन दिवसीय ठोडा मेले में कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। मेले में ठोडा दल खूंद रजाणा व फागू मुख्य मुख्य दल आर्कषण का मुख्य केंद्र रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता व विधायक ठियोग कुलदीप राठौर ने कहा कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बरसात में हुए नुकसान की भरपाई के लिए करोड़ों का बजट मंजूर कर दिया गया है। इसके तहत 27 लाख रुपए स्कूल भवन, 30 करोड़ फागू सैंज मार्ग की मैटलिंग के लिए मंजूर हुआ है। 4.5 करोड़ रुपए का बजट ठियोग ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीणी सड़क योजना के तहत बजट मंजूर हुआ है। अलोटी टैला पुल पर शीघ्र बन जाएगा। जिससे ये पंचायत सिरमौर व सोलन से जुड़ेगी। जुब्बड़ से रवैयां 1500 मीटर सड़क सहित कई सड़कों की टारिंग व अन्य कार्यो की जो डिमांड आई है उन्हें भी पूरा किया जाएगा।

इस कार्यक्रम लिए मेला कमेटी के लिए बीस हजार, महिला मंडल के दस हजार, दोनों ठोडा दल पार्टीयों के लिए पांच ,पांच हजार स्कूली बच्चों के लिए पांच हजार की की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने एचपीएसईबीएल के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया

बिलों के भुगतान, नए कनेक्शन, लोड समायोजन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी उपलब्ध

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभियंता दिवस के अवसर पर शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया।

इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए लम्बी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वे घर बैठे ही आसानी से बिलों का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा लोग अब नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति की भी निगरानी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर एचपीएसईबीएल द्वारा दी जाने वाली नाम परिवर्तन और लोड समायोजन आदि विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बिजली बोर्ड में कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरुआत करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी और सेवाओं में तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कुशल और सुलभ सेवाएं प्राप्त होंगी। इसके अलावा पोर्टल पर ऊर्जा उत्पादन डेटा उपलब्ध होगा और यह उपभोक्ताओं को कार्यालय में आये बिना आईपीपी द्वारा ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में अभियंताओं के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में भारी वर्षा के कारण आई आपदा ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इसके वाबजूद प्रदेश के विभिन्न विभागों के इंजीनियरों के समर्पित प्रयासों से सरकार ने 48 घंटे की अल्पावधि में आवश्यक सेवाओं को अस्थायी रूप से बहाल की। इस आपदा के कारण प्रदेश में सड़क, बिजली और जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं और अभी तक हुए कुल नुकसान का आकलन 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।

डिजिटलीकरण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभाग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके घर-द्वार पर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभियंताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से जलवायु परिवर्तन को एक सामूहिक जिम्मेदारी मान कर इससे निपटने में पूर्ण सहयोग देने का भी आहवान किया।

आबकारी विभाग की शराब माफिया और कर चोरी के विरूद्ध अभियान जारी

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त डॉ. युनुस ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश में अवैध शराब के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में टीमों द्वारा अवैध शराब की बोतले जब्त की जा रही हैं तथा कच्ची शराब को भी नष्ट किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस क्रम में जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा शराब की अवैध भट्टी लगाकर कशीदगी की जा रही थी। आबकारी विभाग के प्रवर्तन दल को मिली सूचना के आधार पर विभागीय टीम ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए इस क्षेत्र में पंहुच कर छापेमारी की। टीम द्वारा अवैध रूप से शराब के रूप में परिवर्तित की जा रही 1200 लीटर कच्ची लाहन को कब्जे में लिया गया जिसमें 200-200 लीटर के छः ड्रम थे। विभाग ने इस शराब को आबकारी नियमानुसार मौके पर नष्ट किया एवं शराब की भट्टी को भी तोड़ दिया।

आबकारी आयुक्त ने बताया कि एक अवैध शराब कारोबारी को 10 लीटर लाहन के साथ पकड़ा और नियमानुसार आगामी करवाई की गई। प्रवर्तन दल द्वारा जिला ऊना के मैहतपुर में भी नाका लगाकर निरीक्षण के दौरान 24 बोतलें अंग्रेजी शराब एवं 46 बोतलें बीयर (चंडीगढ़ में बिक्री के लिए) जब्त कर आबकारी अधिनियम के अनुसार जुर्माना वसूला गया। जिला सिरमौर में भी टीम द्वारा 05 स्थानों में दबिश दी गई जिसमें टीम ने 53 बोतलें देसी शराब की जब्त करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत दोषी व्यक्ति के विरूद्ध मामला दर्ज किया है।

उन्होंने बताया कि जिला ऊना एवं बद्दी में भी विभागीय अधिकारियों ने आबकारी अधिनियम के अंतर्गत शराब की दुकानों का निरीक्षण किया और नियमों की अवहेलना करने वाले अनुज्ञापियों के परिसर से 74 पेटी शराब को कब्जे में लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (दक्षिण क्षेत्र) परवाणू द्वारा भी जोन के विभिन्न स्थानों में शराब की 121 बोतलें जब्त करते हुए अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। जिला शिमला में भी अधिकारियों द्वारा शिमला के रोहडू क्षेत्र में 75 लीटर लाहन को मौके पर नष्ट किया गया।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध शराब और कर चोरी के विरूद्ध अभियान में सफलता मिल रही है। अधिकारियों द्वारा विगत कुछ समय में लगभग 3405 बोतलें कब्जे में लेकर नियमानुसार कारवाई की है। इसके अतिरिक्त कर चोरी के मामलों में भी विभाग ने 5.035 किलो ग्राम सोने के आभूषण एवं 14.236 किलो ग्राम चांदी को पकड़ा है और इन आभूषणों का मूल्य लगभग 2.96 करोड़ रुपए है। इस पर विभाग ने लगभग 18,09,080 का जुर्माना वसूल किया है।

आयुक्त ने बताया कि अधिकारियों को पूर्व में ही अवैध शराब और कर चोरी करने वाले व्यापारियों के विरु) कड़ी कारवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अवैध शराब के निर्माण एवं व्यापार पर आबकारी विभाग भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यवाही करता रहेगा। विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों को अवैध कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कारवाही करने के आदेश दिए गए हैं। इस अभियान में पूरे प्रदेश भर में 26 टीमें कार्यरत हैं।

उन्होंने यह भी अवगत करवाया कि विभाग ने अवैध शराब पर निगरानी रखने के लिए मुख्यालय स्तर पर चौबीसो घंटे कंट्रोल रूम स्थापित किया है और अवैध शराब के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फी नम्बर 18001808062 तथा व्हाट्स ऐप नम्बर 94183-31426 भी जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अवैध शराब से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत इन दूरभाष नम्बरों पर दर्ज करवायें ताकि त्वरित कारवाई की जा सके।

मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कोष में अंशदान के लिए बिहार सरकार का आभार जताया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिहार सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आयी आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि आपदा राहत कोष के लिए प्रदान की है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सहायता राशि प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में कारगर साबित होगी। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समाज के सभी वर्गो से इस कोष में उदारता से अंशदान का आग्रह किया है ताकि प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सके।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

आपदा में गिरे अवैध निर्माणों के लिये राहत का मानदण्ड क्या होगा?

- शिमला के कृष्णा नगर में हुए नुकसान से उठा सवाल
- आरटीआई सूचना के अनुसार करीब दो हजार अवैध निर्माण हैं
- 2006 और 2007 में अदालत में हुए थे इन्हें गिराने के आदेश

शिमला/शैल। विधानसभा में आपदा और राहत को लेकर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष में जोरदार बहस होने की संभावना है। केन्द्र से कितनी राहत मिली है और राज्य सरकार ने कहां और किसको कितनी राहत प्रदान की है यह सारे आंकड़े सदन में सामने आने की उम्मीद है। लेकिन क्या इस सवाल पर भी चर्चा होगी कि इस आपदा में जो अवैध रूप से बनाये गये निर्माण गिरे हैं या क्षतिग्रस्त हुये हैं उन मामलों में राहत प्रदान करने का मापदंड क्या रहेगा? क्या जिस प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे अवैध निर्माण गिरे हैं और जान माल की हानि हुई उसके लिये संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराकर उनसे इसकी वसूली की जायेगी? प्रदेश के हर क्षेत्र में आपदा से सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान के लिए अवैध खनन को बड़ा कारण माना गया है। बल्कि सरकार के मंत्रियों के बीच भी इसको लेकर द्वंद्व की स्थिति उभर चुकी है। ऐसे इस आपदा से सबक लेते हुये अवैध निर्माणों को लेकर एक कठोर फैसला लेने की आवश्यकता है क्योंकि यह राहत भी तो सार्वजनिक संसाधनों से ही दी जा रही है।

अवैध निर्माणों और उनके गिरने का प्रश्न राजधानी शिमला के कृष्णा नगर में हुये नुकसान से उभरा है। यहां हुये भूस्खलन से गिरे मकान और 28 करोड़ से नगर निगम शिमला द्वारा बनाये गये स्लॉटरहाउस के गिरने से जो सवाल उठे हैं उन्हें आसानी से नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। स्थानीय पार्षद ने भी यह सवाल उठाया है कि जब यह क्षेत्र सिंकिंग जोन में आता है तो यहां पर यह स्लॉटर हाउस बनाया ही क्यों गया। इसको लेकर एक जांच भी चल रही है। लेकिन एक ओम प्रकाश की आरटीआई के माध्यम से आई जानकारी के अनुसार कृष्णा नगर में करीब दो हजार अवैध निर्माणों की जानकारी सामने आयी है। नगर निगम ने यह सूची देते हुये स्वीकारा है कि इन अवैध निर्माणों को गिराने के लिये उच्च न्यायालय के निर्देशों पर इन अवैध निर्माणों के खिलाफ ए सी टू डी सी और एसडीएम (शहरी) तथा संयुक्त आयुक्त की अदालत में अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कारवाई अमल में लाकर इनको गिरने के आदेश 2006 और 2007 में पारित हो चुके हैं। उस समय यह निर्माण कच्चे ढारों के रूप में रिकॉर्ड पर आये हैं। यह भी रिकॉर्ड पर आया है कि किसी भी ढारे में बिजली और पानी के कनैक्शन उपलब्ध नहीं थे।

इन अदालतों ने इन अवैध निर्माणों को गिराने के स्पष्ट आदेश किये हुए हैं। लेकिन अब जब आपदा में नुकसान हुआ तो पक्के बहुमंजिला निर्माण गिरे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब 2006, 2007 में यह कच्चे ढारे थे और अवैध करार देकर गिराने के आदेश हुये थे तो फिर वहां पर पक्के निर्माण कैसे बन गये? क्या यह पक्के निर्माण अवैध नहीं थे? यह भी जानकारी सामने आयी है कि निगम इसमें प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूलता रहा है। जब यह धंसने वाला क्षेत्र चिह्नित और घोषित था तब यहां बने निर्माणों के लिये प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिये यह सवाल सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है।

LIST OF UNAUTHORISED BUILDING TO BE DEMOLISHED AT KRISHNA NAGAR

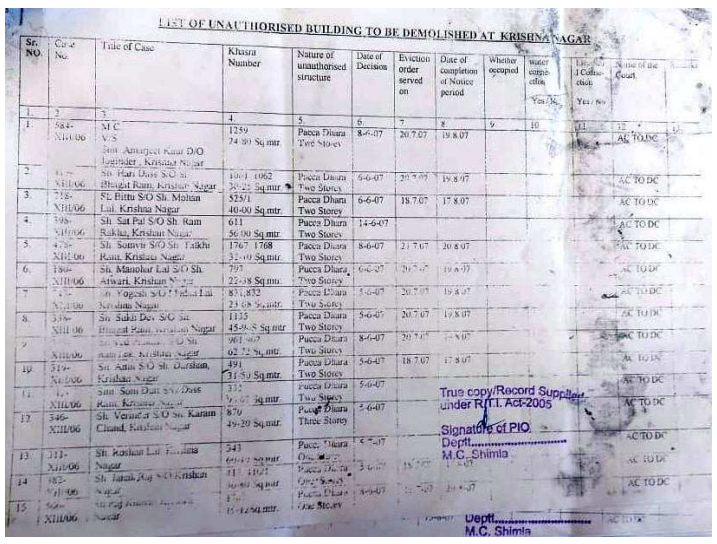

Sr. NO.	Case No.	Title of Case	Khasra Number	Nature of unauthorised structure	Date of Decision	Eviction order served on	Date of completion of Notice period	Whether occupied	water connection Yes/No	Electrical Connection Yes/No	Name of the Court	Remarks
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	584-XIII/06	M.C. V/S Smt. Amarjeet Kaur D/O Joginder, Krishna Nagar	1259 24-89 Sq.mtr	Pucca Dhara Two Storey	8-6-07	20.7.07	19.8.07				AC TO DC	
2.	[illegible] XIII/06	Sh. Hari Dass S/O Sh. Bhagat Ram, Krishan Nagar	1061, 1062 [illegible] Sq.mtr	Pucca Dhara Two Storey	5-6-07	20.7.07	19.8.07				AC TO DC	
3.	718-XIII/06	Sh. Bittu S/O Sh. Mohan Lal, Krishna Nagar	525/1 40-00 Sq.mtr	Pucca Dhara Two Storey	6-6-07	18.7.07	17.8.07				AC TO DC	
4.	398-XIII/06	Sh. Sat Pal S/O Sh. Ram Rakha, Krishan Nagar	611 56.00 Sq.mtr	Pucca Dhara Two Storey	14-6-07						AC TO DC	
5.	475-XIII/06	Sh. Somvir S/O Sh. Taikhu Ram, Krishan Nagar	1767, 1768 [illegible] Sq.mtr	Pucca Dhara Two Storey	8-6-07	21.7.07	20.8.07				AC TO DC	
6.	180-XIII/06	Sh. Manohar Lal S/O Sh. Atwari, Krishan [illegible]	797 22-38 Sq.mtr	Pucca Dhara Two Storey	[illegible]	[illegible]	[illegible]				AC TO DC	
7.	[illegible]	Sh. Yogesh S/O [illegible] Lal Krishna Nagar	831, 832 23-68 Sq.mtr	Pucca Dhara Two Storey	5-6-07	20.7.07	19.8.07				AC TO DC	
8.	338-XIII/06	Sh. Sukh Dev S/O Sh. Bhagat Ram, [illegible] Nagar	1135 45-9-5 Sq.mtr	Pucca Dhara Two Storey	5-6-07	20.7.07	19.8.07				AC TO DC	
9.	[illegible] XIII/06	[illegible]	961 [illegible] 62 [illegible] Sq.mtr	Pucca Dhara Two Storey	8-6-07	20.7.07	[illegible]				AC TO DC	
10.	519-XIII/06	Sh. Anil S/O Sh. Darshan, Krishan Nagar	491 31-50 Sq.mtr	Pucca Dhara Two Storey	5-6-07	18.7.07	17.8.07				AC TO DC	
11.	[illegible] XIII/06	Smt. Som Dutt [illegible] Dass Ram, Krishan Nagar	332 [illegible] Sq.mtr	Pucca Dhara Two Storey	5-6-07						AC TO DC	
12.	346-XIII/06	Sh. Verinder S/O Sh. Karam Chand, Krishan Nagar	870 49-20 Sq.mtr	Pucca Dhara Three Storey	5-6-07						AC TO DC	
13.	311-XIII/06	Sh. Roshan Lal Krishna Nagar	543 [illegible] Sq.mtr	Pucca Dhara One Storey	[illegible]						AC TO DC	
14.	182-XIII/06	Sh. [illegible] S/O Krishan Nagar	[illegible] Sq.mtr	Pucca Dhara One Storey	[illegible]	[illegible]	[illegible]				AC TO DC	
15.	[illegible] XIII/06	[illegible] Nagar	[illegible] Sq.mtr	Pucca Dhara One Storey	8-6-07	[illegible]	[illegible]				AC TO DC	

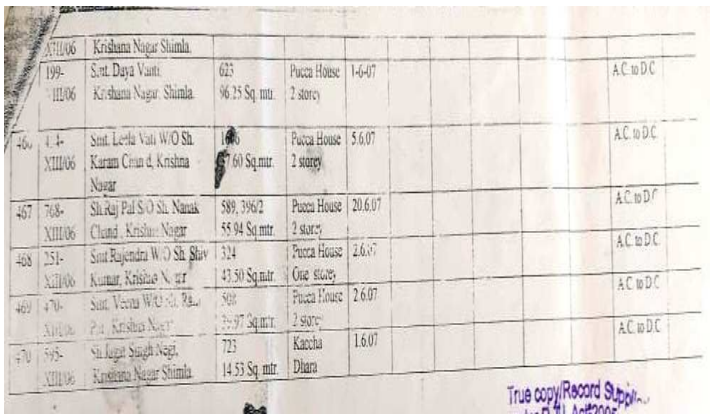

True copy/Record Supplied under R.T.I. Act-2005
Signature of PIO
Deptt.............
M.C. Shimla

	XIII/06	Krishana Nagar Shimla.				
	199-XIII/06	Smt. Daya Vanti Krishana Nagar, Shimla	623 96.25 Sq. mtr.	Pucca House 2 storey	1-6-07	A.C. to D.C.
466	1[illegible]4-XIII/06	Smt. Leela Vati W/O Sh. Karam Chand, Krishna Nagar	1[illegible]6 [illegible]7.60 Sq.mtr.	Pucca House 2 storey	5.6.07	A.C. to D.C.
467	768-XIII/06	Sh. Raj Pal S/O Sh. Nanak Chand, Krishna Nagar	589, 396/2 55.94 Sq.mtr.	Pucca House 2 storey	20.6.07	A.C. to D.C.
468	251-XIII/06	Smt Rajendra W/O Sh. Shiv Kumar, Krishna Nagar	324 43.50 Sq.mtr.	Pucca House One storey	2.6.07	A.C. to D.C.
469	470-XIII/06	Smt. Veena W/O Sh. Ra[illegible] Pal, Krishna Nagar	508 39.97 Sq.mtr.	Pucca House 2 storey	2.6.07	A.C. to D.C.
470	595-XIII/06	Sh. Jagat Singh Negi, Krishana Nagar Shimla	723 14.53 Sq. mtr.	Kaccha Dhara	1.6.07	

True copy/Record Supplied under R.T.I. Act-2005

आपदा में मिली केंद्रीय सहायता पर विपक्ष हुआ बेनकाब

- वायदों और घोषणाओं से अधिक कुछ नहीं मिला केन्द्र से प्रदेश को
- सदन के पटल पर सच आया सामने

शिमला/शैल। प्रदेश में आयी आपदा से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई प्रदेश के संसाधनों से ही कर पाना संभव नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रही है। यदि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा सकता तो गुजरात के भुज और उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए नुकसान में दिये गये विशेष पैकेज की तर्ज पर हिमाचल को भी राहत दी जाये। लेकिन केंद्र ने अभी तक हिमाचल के एक भी आग्रह पर कोई कदम नहीं उठाया है। जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा सांसद प्रतिभा सिंह व्यक्तिगत तौर पर भी प्रधान से ऐसा आग्रह कर चुके हैं। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा के नेता प्रदेश को केंद्र से मिल रही सहायता के कई आंकड़े प्रदेश की जनता के सामने रखते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रदेश का दौरा करके 200 करोड़ की सहायता तुरन्त देने का ऐलान कर गये थे। हमीरपुर के सांसद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहत के आंकड़े परोसे हैं। यही नहीं प्रदेश से राज्यसभा सांसद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी प्रदेश का दौरा करके अधिकारियों की बैठक ली और यह घोषणा की थी कि सरकार जो मांगेगी वह केन्द्र की ओर से उसे खुले मन से मिलेगा। अपने नेताओं के इन दावों से प्रभावित होकर प्रदेश भाजपा के विधायक विधानसभा का सत्र शीघ्र बुलाये जाने का आग्रह करने लगे। अब जब विधानसभा का सत्र आरम्भ हुआ तो सरकार ने नियम 102 के तहत आपदा पर चर्चा सूचीबद्ध की हुई थी। शोकोदगार के बाद जैसे ही प्रश्न काल शुरू हुआ तो विपक्ष ने नियम 67 के तहत चर्चा का आग्रह किया। जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया तो विपक्ष सदन से बाहर चला गया। जब अध्यक्ष ने नियम 102 के साथ ही नियम 67 को संलग्न करके चर्चा की अनुमति दी और मुख्यमंत्री ने नियम 102 के तहत अपने संकल्प को सदन में रखा तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसमें भाग लेने के लिये खड़े हो गये और प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश को दिये गये 5000 घरों और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2600 करोड़ के आंकड़े सदन में रखे। इन आंकड़ों में हस्तक्षेप करते हुये जब मुख्यमंत्री ने यह बताया कि नितिन गडकरी ने जो 200 करोड़ प्रदेश को तुरन्त देने की बात की थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। 2600 करोड़ प्रदेश को पी एम जी एस वाई के तीसरे चरण के बकाये के रूप में मिला है जो केवल ग्रामीण सड़कों पर ही खर्च होगा। यदि केन्द्र ने इसकी अतिरिक्त कुछ और प्रदेश को दिया है तो उसके आंकड़े आप सदन में रख सकते हैं। लेकिन विपक्ष ऐसा कुछ नहीं रख पाया। क्योंकि घोषणाओं और वादों के अतिरिक्त प्रदेश को केन्द्र से कुछ नहीं मिला है।